

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/208
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00179
CICOM/R/2018/00673

दिनांक: 10.08.2018

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,
ग्राम - शोकहारा -2, राजेन्द्र पथ बरौनी,
पो0 - बरौनी, जिला - बेगूसराय,
बिहार - 851112.

निर्णय की तारीख: 10.08.2018

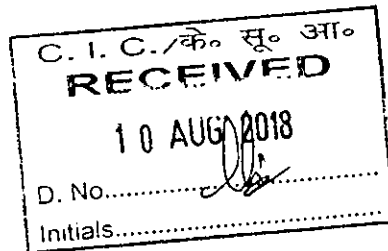
आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	27.06.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	17.07.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. तलपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	25.07.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	363/01.08.2018 (919/31.07.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 27.06.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से अपनी द्वितीय अपील आदेश का उल्लेख करते हुए उससे संबंधित तीन बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय द्वारा आवेदन के बिंदु सं. 1 के तहत प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता द्वारा आवेदन के बिंदु सं. 1 के माध्यम से आवेदन में उल्लिखित द्वितीय अपील आदेश के अनुपालन में संबंधित प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों पर आयोग द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिए जाने से संबंधित सूचना मांगी गई है। तदुसार श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि यदि उक्त संदर्भित द्वितीय अपील आदेश के अनुपालन में संबंधित प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध करवाए गए दस्तावेजों पर आयोग द्वारा कोई अंतिम निर्णय लिया गया है तो इसकी सत्यापित प्रति इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई जाए।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



२१/८/१८
(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

2. श्री ए. के. तलपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-ए.बी. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।

10/08/18